



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 श्रावण 1942 (श०)

(सं० पटना 466) पटना, शुक्रवार, 7 अगस्त 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

7 अगस्त 2020

एस० ओ० 145 दिनांक 7 अगस्त 2020—बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (जिसे इसके पश्चात उक्त अध्यादेश कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार—राज्यपाल, 30 जून, 2020 को उस तारीख के रूप में, जिससे उक्त अध्यादेश की धारा 2 और 12 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करते हैं।

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—8)—1337)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

7 अगस्त 2020

एस० ओ० 145 दिनांक 7 अगस्त 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—8)—1337)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 7th August 2020

S.O. 145 dated the 7th August 2020-- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Bihar goods and services tax (second amendment) Ordinance, 2020 (hereinafter referred to as the said Ordinance), the Governor of Bihar hereby appoints the 30th day of June, 2020, as the date on which the provisions of sections 2 and 12 of the said Ordinance, shall come into force.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-8)-1337]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 466-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>